15/06/16 - वकील प्रार्थीनी के निवेदन पर पत्रावली
आज सुनवाई हेतु ली गई। चूंकि
आज वकील वादीनी/प्रार्थीनी द्वारा
मूल वाद उठिये विड्राल स्वीकार
कर लिया गया है। जिसके
अब यह अन्तरिम प्रकरण मे
कोई अवलोकन शेष नहीं है।
अतः यह अन्तरिम प्रकरण भी
उठिये विड्राल स्वीकार कर
इस न्यायालय द्वारा कार्यवाही
निषेधाज्ञा स्वीकार कर खारिज
निरस्त किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर एवं
SDO (मुण्डवा...)

# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

## पीठासीन अधिकारी श्री नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48/2016

प्रार्थीनी

1. चुन्नीदेवी पत्नी भैराराम जाति नाई निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

**बनाम**

विप्रार्थीगण

1. मूलाराम पुत्र भैराराम
2. बाबूलाल पुत्र भैराराम
3. हस्ताराम पुत्र भैराराम
4. रूघाराम पुत्र उदाराम जातियान नाई निवासीयान सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार सिणधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. **श्री दलाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनी**

**—:: आदेश ::—**

दिनांक :— 18.03.2016

प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी एवं विप्रार्थीगण 1 से 4 के संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 268 रकबा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 464/65 रकबा 53.06 बीघा, खसरा नम्बर 466/65 रकबा 06.12 बीघा, खसरा नम्बर 472/269 रकबा 21.01 बीघा, खसरा नम्बर 474/269 रकबा 08 विस्वा कुल रकबा 81.11 बीघा तथा मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 235 रकबा 06.15 बीघा की आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी उदाराम की पैतृक भूमि है। उदाराम के दो पुत्र भैराराम व रूगाराम है। भैराराम की मृत्यु के पश्चात उक्त वादग्रस्त आराजी भैराराम के पुत्र मूला बाबू व हस्ता के नाम नामान्तरण किया गया। जिसमें जिसमें वादीनी चुन्नी देवी का नाम राजस्व कार्मिकों की भूलवंश दर्ज होने से रह गया। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीनी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। जिसमें प्रार्थीनी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रार्थीनी ने उक्त पैतृक भूमि में अपना नाम घोषित करवाने बाबत एक वाद श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसमें समय लगना सम्भव है।

विप्राथीगण संख्या 1 ता 3 अपने पैतृक हिस्से की सीमा से बढकर व प्रार्थीनी द्वारा उपजाऊ बनाई गई भूमि का बेचान किसी अनय अजनवी केता को कर दिया है तथा कब्जा मौका भी छीनने की प्रार्थीनी को धमकियां दे रहे हैं तथा जबरन कब्जा करने पर प्रयासरत हैं तथा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त में वाधा पैदा कर प्रार्थीनी के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका कि विप्रार्थीगण को वैधानिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीनी को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से हमेशा के लिये वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थीनी को भारी

सहायक कलक्टर
SDO (गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है। अतः विप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2016 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्तागण की वहस सुनी। प्रार्थीनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने दावा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थीनी की पैतृक व सहदायिकी की भूमि है, मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थीनी का है, जिससे प्रार्थीनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है और अगर निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी।

अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या प्रार्थीनी उक्त वादग्रस्त आजारी में विरूद्ध विप्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। पत्रावली के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी स्व0 भैराराम की पत्नी होने एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक होने से उक्त विवादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी का हक निहित है। चूंकि विप्रार्थीगण द्वारा भी द्वारा भी इसका कोई विरोध नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थीनी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के हक में है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरूद्ध विप्रार्थीगण संख्या 01 ता 03 दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सणपा मानजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 268 रकबा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 464/65 रकबा 53.06 बीघा, खसरा नम्बर 466/65 रकबा 06.12 बीघा, खसरा नम्बर 472/269 रकबा 21.01 बीघा, खसरा नम्बर 474/269 रकबा 08 विस्वा कुल रकबा 81.11 बीघा तथा मौजा भाटियों का डेर पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी में खसरा नम्बर 235 रकबा 06.15 बीघा में प्रार्थीनी के नोशनल हिस्से की भूमि में वाद के निस्तारण तक बेचान आदि न करे व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। खर्चा हर्जा प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण अपना अपना स्वयं वहन करें।

आदेश आज दिनांक 18/3/16 करे खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/16

( नाथूसिंह राठौड़ )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

Scanned by CamScanner